कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

//आदेश//

कवर्धा, दिनांक 18 09.2020

क्रमांक/6811/सां.लि/कोरोना/2020

अनुविभागीय अधिकारी(रा.), पण्डरिया द्वारा कबीरधाम जिले के नगर पंचायत, पण्डरिया क्षेत्रांतर्गत पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना पॉजिटीव केस पाये जाने से नगर पंचायत, पण्डरिया (सम्पूर्ण क्षेत्र) को कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित करते हुए सील किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आधार पर परिशिष्ट–01 अनुसार दर्शाये क्षेत्रों को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है।

2/ कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :–

1. अत्यावश्यक सेवाओं जैसे–खाद्य आपूर्ति, आपातकालीन चिकित्सा सेवा को छोड़कर शेष सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
2. सब्जी, फल, दूध, ब्रेड, कृषि बीज एवं कीटनाशक दुकानों को प्रातः 07 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
3. कंटेन्मेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
4. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा।
5. कंटेन्मेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी।
6. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल जांच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
7. प्रभारी अधिकारी कंटेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।
8. कंटेन्मेंट जोन में बैंको में ग्राहक सेवा पूर्णतः बंद रहेगा।

3/– कंटेन्मेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाते है :–

1. प्रवेश तथा निर्गम हेतु पृथक द्वार/रास्ता का चिन्हांकन कर बेरिकेटिंग करना तथा उस पर कंटेन्मेंट जोन का बोर्ड लगाना जिससे अनाधिकृत प्रवेश रोका जा सकें।

   कार्यपालन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, कबीरधाम

2. कंटेन्मेंट जोन में अत्यावश्यक सेवाओं जैसे–खाद्य आपूर्ति, आपातकालीन चिकित्सा सेवा को छोड़कर शेष सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रखना तथा आवागन केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही सीमित किया जाना।

   पुलिस विभाग/संबंधित प्रभारी अधिकारी

3. नियमित पेट्रोलिंग।

   पुलिस विभाग

4. क्लस्टर कंटेन्मेंट जोन में अनावश्यक प्रवेश पर रोक लगाना तथा प्रवेश द्वार पर आने–जाने वालों का रिकार्ड संधारित कर जिला आई.डी.पी.एस. टीम को उपलब्ध करायेंगें।

   अनुविभागीय अधिकारी(रा.)/पुलिस विभाग

5. कंटेन्मेंट जोन की जनसंख्या, हाउसहोल्ड की संख्या, घनत्व इत्यादि की मैपिंग तथा राज्य आई.डी.एस.पी. सेल को इसकी रिपोर्टिंग प्रतिदिन करना।

   मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी(रा.)

6. कंटेन्मेंट जोन के प्रत्येक घर में सकिय सर्विलांस तथा लक्षण सहित पाये गये व्यक्तियों का कोरोना जांच हेतु सैम्पल लेना एवं सर्विलांस के दौरान सेम्पलिंग गाइडलाईन के अनुसार व्यक्तियों का सैम्पल एकत्र कर जांच हेतु भेजना।

7. कंटेन्मेंट जोन में पॉजिटिव पाए गए मरीजों के संपर्क में आए व्यक्तियों की ट्रेसिंग करने हेतु Contact Tracing Team, द्वारा संपर्क में आये लोगों की सूची बनाते हुए उनके सैम्पल एकत्र कर जांच हेतु भेजना। साथ ही सभी High Risk Prinmary Contact व्यक्ति को यथा संभव संस्थागत क्वारेंटीन करना।
8. घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. किट इत्यादि उपलब्ध कराना एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन–

(06 से 08 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कबीरधाम)

9. प्रवेश एवं निकास संबंधित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था तथा कंटेन्मेंट जोन में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु माइक के माध्यम से प्रचार प्रसार करना।
10. कंटेन्मेंट जोन में विभिन्न IEC गतिविधियों के माध्यम से हेड हाइजिन, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाईजेशन तथा मास्क पहनने हेतु प्रात्साहित करना।
11. आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना–

(09, 10 व 11 संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत)

12. कंटेन्मेंट जोन में कार्य कर रहे सभी अधिकारी/कर्मचारियों हेतु आवासीय व्यवस्था–

संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

संलग्न– परिशिष्ट–01

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

पृ.क्रमांक/6812/सां.लि/कोरोना/2020 कवर्धा, दिनांक 18.09.2020

प्रतिलिपि –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वनमण्डलाधिकारी, जिला कबीरधाम की ओर बेरिकेटिंग के लिए बांस बल्ली उपलब्ध कराने हेतु।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पण्डरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कबीरधाम को kawardha.gov.in में जनसामान्य के सुविधा हेतु आदेश की प्रति अपलोड करने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व संबंधित प्रभारी अधिकारी श्री/श्रीमती.. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

18/9/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

परिशिष्ट–01

कंटेन्मेंट जोन/प्रभारी/पर्यवेक्षण अधिकारी

कंटेन्मेंट जोन	प्रभारी अधिकारी	पर्यवेक्षण अधिकारी
नगर पंचायत, पण्डरिया (सम्पूर्ण क्षेत्र)	श्री संजय विश्वकर्मा, तहसीलदार, पण्डरिया मो.नं. 96300–87001,	श्री प्रकाश कुमार टण्डन, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पण्डरिया मो.नं. 94242–68543

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम